झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध) 15/2022– 345

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 01.04.2022

विषयः– **PDS दुकानदारों द्वारा कटौती किए गए अनाज के मात्रा के अनुसार लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराने पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्राप्त सूचना के अनुसार जिन PDS वितरकों के पास पूर्व का अनाज अवशेष है, उनके आवंटन में कटौती करते हुए SIO निर्गत किया जा रहा है। परन्तु PDS दुकानदारों द्वारा कटौती की गई मात्रा के अनुसार लाभुकों को देय खाद्यान्न में कटौती कर अनाज दिया जा रहा है।

इस प्रकार की शिकायतें लगातार आयोग को प्राप्त हो रही है एवं जिले के सम्बन्धित पदाधिकारी को भेजे जाने पर कई मामलों में कटौती किए गए अनाज की आपूर्ति लाभुकों को कर दिये जाने की सूचना दी गई है। कई मामलों में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में भी उल्लेखित है कि स्वयं डीलर द्वारा कटौती किए गए अनाज के अनुरूप लाभुकों से अनाज की कटौती किए जाने की बात स्वीकार की गयी है।

क्षेत्र में डीलर अनाज की कटौती किये जाने की बात कह कर लाभुकों को अनाज कम दे रहे हैं। अनाज भौतिक रूप से कम दिया जा रहा है, परन्तु ऑनलाईन इंट्री अहर्त्ता के अनुरूप अर्थात् ज्यादा किया जा रहा है। लाभुकों को रसीद भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है, फलस्वरूप लाभुक भी इस तथ्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं। स्पष्ट रूप से कटौती किए जा रहे अनाज का नुकसान अंतिम रूप से लाभुकों को हो रहा है। इस प्रकार के कृत्य पर तत्काल रोक लगाना आवश्यक है।

सुझाव होगा कि ऐसे सभी डीलर जिनके पास बैकलॉग अनाज होने के कारण कटौती की जा रही है, से सम्बन्धी अनाज का वितरण कैम्प लगवाकर पर्याप्त सरकारी निगरानी में कराया जाए ताकि लाभुकों को उनके अहर्त्ता के अनुरूप अनाज मिल सके।

विश्वासभाजन

01/04/2022

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx109

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261